भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *59
03 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

अत्यधिक गरीबी से मुक्त केरल

***59. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:**
श्री एम. के. राघवन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल को नवम्बर, 2025 में अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य घोषित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केरल राज्य सरकार द्वारा राज्य को "अत्यधिक गरीबी-मुक्त" घोषित किए जाने के बाद अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) श्रेणी के राशन कार्डों को रद्द या बंद किया जा सकता है और यदि हां, तो अत्यधिक गरीबी से मुक्त स्थिति की घोषणा के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उपरोक्त घोषणा केरल के लिए बाह्य वित्तीय एजेंसियों से ऋण प्राप्त करने हेतु लाभप्रद है और यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(घ) केन्द्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार अत्यधिक गरीबी से ग्रस्त व्यक्तियों और परिवारों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ङ) मौजूदा आंकड़ों के अनुसार अत्यधिक गरीबी की स्थिति के दृष्टिगत केरल को क्या-क्या लाभ मिले हैं और उसे कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की आपूर्ति की गई है; और
(च) क्या केन्द्र सरकार का उक्त घोषणा के आधार पर केरल को खाद्यान्नों की आपूर्ति में कोई परिवर्तन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ज): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

लोक सभा में दिनांक 03.12.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या *59 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): केरल सरकार ने राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में आधिकारिक तौर पर दिनांक 01 नवंबर, 2025 ('केरल पिरवी' - राज्य स्थापना दिवस) को देश में अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य घोषित किया है।

(ख): एएवाई दिशानिर्देशों में पात्र परिवारों की पहचान के लिए अत्यधिक गरीबी कोई मानदंड नहीं है।

(ग): विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित ऐसी कोई जानकारी नहीं रखी जाती है।

(घ): भारत सरकार ने गरीबी मापने के लिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) नामक एक व्यापक सूचकांक विकसित किया है। नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट, 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति समीक्षा 2023' के अनुसार, 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में जनसंख्या का अनुपात 24.85% से घटकर 14.96% हो गया, जो यह दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान लगभग 13.5 करोड़ जनसंख्या गरीबी से बाहर आए हैं। केरल राज्य में बहुआयामी गरीबी में जनसंख्या का अनुपात वर्ष 2015-16 और 2019-21 के बीच 0.70% से घटकर 0.55% हो गया, जो यह दर्शाता है कि राज्य में लगभग 53239 व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं।

इसके अलावा, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित वर्ष 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी पर चर्चा पत्र के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में 11.28% होने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि इस अवधि के दौरान 24.8 करोड़ व्यक्ति गरीबी से बाहर आ गए हैं।

(ड.) और (च): अधिनियम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को खाद्यान्न का आवंटन, तत्कालीन योजना आयोग द्वारा निर्धारित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जनसंख्या कवरेज के भीतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित लाभार्थियों की पहचान और अधिनियम के तहत निर्धारित खाद्यान्न पात्रता के आधार पर किया जाता है, अर्थात अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किए गए परिवारों के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार, प्रति माह और प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह है।

जैसा कि एएवाई दिशानिर्देशों में पात्र परिवारों की पहचान के लिए अत्यधिक गरीबी कोई मानदंड नहीं है, इसलिए वर्तमान में केरल को खाद्यान्न की आपूर्ति संबंधित किसी भी परिवर्तन की अवधारणा नहीं की गई है।

*****